रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-117/2024/798/22-2-2024-17(992)/2019
लखनऊ : दिनांक: 05 सितम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/ 1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2021) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिकरन उर्फ फौजी (बन्दी संख्या-26097) पुत्र श्री ब्रजलाल, निवासी गोहाना थाना-पाली, जनपद-हरदोई, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-807,808/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 404 व 25 आर्म्स ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0 सी0-03, हरदोई के आदेश दिनांक 21.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 17 वर्ष 06 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 10 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या-117/2024/798(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या- 276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2023 एवं दिनांक 12.02.2024 एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-726/2007 हरिकरन उर्फ फौजी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2023, दिनांक 04.04.2024 तथा दिनांक 02.05.2024 के सन्दर्भ में।
6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2023 एवं दिनांक 12.02.2024 एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-726/2007 हरिकरन उर्फ फौजी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2023, दिनांक 04.04.2024 तथा दिनांक 02.05.2024 के सन्दर्भ में।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।